MOST URGENT

Vidhan Sabha Unstarred Question-U276

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SCs, STs AND OBCs

B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.5(80)/2025/DSCST/PG/VSQ-U276/1726-27 Date: 25/3/25

To

The Deputy Secretary (Question Branch),
Govt. of NCT of Delhi, Delhi Vidhan Sabha Sachivalya,
Old Secretariat, Delhi-110054

Sub: - Vidhan Sabha Unstarred Question No. 276 for 28/03/2025 raised by Hon'ble MLA Sh. Sanjay Goyal.

Sir,

Please refer to the Deputy Secretary (Question Branch) Vidhan Sabha Delhi letter No.F.11(B-1)VIII/2025-30/V.S.S/Question Branch/2244, dated 18.03.2025 on the subject cited above. In this regard, I am directed to enclose herewith the reply of the above said Question (100 Copies and soft copy in pdf file) for your kind information and necessary action at your end.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (Welfare of SC/ST/OBC).

Yours faithfully,

Encl: - As above.

(P.K.Chaurasia)
Dy. Director, DSCST
Ph: 011-23379512/ E-mail: scstsecretary@gmail.com

No. F.5(80)/2025/DSCST/PG/VSQ-U276/ Date:

Copy to:-

1. Dy. Director, Information & Publicity Department, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Block-9, Delhi-110054 (enclosed herewith 150 Copies of reply of the above Question).

(P.K.Chaurasia)
Dy. Director, DSCST
Ph: 011-23379512/ E-mail: scstsecretary@gmail.com

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व.कल्याण विभाग

बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या – 276
दिनांक – 28, मार्च 2025
प्रश्नकर्ता – श्री संजय गोयल

क्या माननीय अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th colspan="4">उत्तरः एससी/एसटी/ओबीसी के लिएविभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं</th></tr>
<tr><td rowspan="3">(क)</td><td rowspan="3">क्या सरकार के पास एससी/एसटी/ओबीसी के लिए अलग से कोई फंड है, विस्तार से विवरण दें;</td><td>क्र. सं.</td><td>योजना का नाम</td><td>बजट आबंटन (2024-25) (लाखरुपएमें)</td><td>उद्देश्य</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस की प्रति पूर्ति</td><td>2500</td><td>अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करके सार्वजनिक/ निजी स्कूल स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने में सहायता और सक्षम बनाना। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र ट्यूशन फीस, लैब फीस और लाइब्रेरी फीस की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। प्रतिपूर्ति केवल उन छात्रों को मिलेगी जिन्होंने 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और पिछले वर्ष में उनकी उपस्थिति 70% से कम नहीं रही है। कक्षा में पुनरावर्तक छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवार की आय 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक होनी चाहिए। अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि 48,000/- रूपये या वास्तविक भुगतान जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना</td><td>1000</td><td>इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि वे सभी सरकारी/ सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक खर्च वहन कर सकें। आवेदक दिल्ली सरकार का निवासी होना चाहिए। छात्रवृत्ति राशि 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले और पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 5000/- रुपये प्रति वर्ष है और 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने</td></tr>
</table>

					वाले और पिछली कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 10,000/- रुपये प्रति वर्ष है। किसी विशेष कक्षा में बार-बार पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
		3.	कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति	189	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके कॉलेज स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना ताकि उनके माता-पिता पर वित्तीय बोझ कम हो सके। इस योजना में ओबीसी छात्रों के लिए पारिवारिक आय सीमा 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है तथा एससी/एसटी छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
		4.	विदेश में उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	200	इस योजना में 100 चयनित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निम्नलिखित निर्दिष्ट क्षेत्रों अर्थात इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, विशुद्ध विज्ञान एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं चिकित्सा, लेखांकन एवं वित्त, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जा रही है पीएचडी पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए 20,00,000 रुपये (केवल बीस लाख रुपये) और मास्टर्स डिग्री के लिए अधिकतम 10,00,000 रुपये (केवल दस लाख रुपये) के अधीन प्रति वर्ष 5 लाख रुपये या वास्तविक जो भी कम हो।
		5.	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति-एससी (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान - (ii) राज्य अंशदान-	 5.00 94.00	इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक स्तर पर पढ़ रहे उन सभी बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन प्रदान करना है, ताकि शिक्षा क्षेत्र में उनकी भागीदारी में सुधार हो, स्कूल छोड़ने की घटना कम हो, उनका प्रदर्शन बेहतर हो और शिक्षा के पोस्ट- मैट्रिक चरण में प्रगति करने के उनके बेहतर अवसर हों। छात्र पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IX और X में अध्ययनरत होने चाहिए और SC वर्ग से संबंधित होने चाहिए। डे स्कॉलर्स के लिए 3,500/- रुपये प्रति वर्ष और हॉस्टलर्स के लिए 7,000/- रुपये प्रति वर्ष। यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के बंटवारे के अनुपात में है।

		6.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-एससी (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान - (ii) राज्य अंशदान-	 5.00 945.00	इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें मैट्रिकुलेशन के बाद के चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करके सबसे गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह योजना भारत के भीतर पोस्ट मैट्रिकुलेशन / पोस्ट सेकेंडरी (कॉलेज/विश्वविद्यालय) स्तर पर आगे की पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है। छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा और उसके बाद की पढ़ाई करनी चाहिए और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के बंटवारे के अनुपात में है।
		7.	ओबीसी छात्रों को प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान - (ii) राज्य अंशदान-	 70.00 45.00	इस योजना का उद्देश्य प्री- मैट्रिक स्तर पर पढ़ रहे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ओबीसी वर्ग के बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। छात्र केवल सरकारी स्कूलों में पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IX और X में पढ़ रहे होने चाहिए। उन्हें ओबीसी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। छात्रवृत्ति 4,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है। यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के बंटवारे के अनुपात में है।
		8.	ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान - (ii) राज्य अंशदान-	 317.00 210.00	इस योजना का उद्देश्य पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन कर रहे ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। छात्रवृत्ति उन सभी ओबीसी छात्रों को उपलब्ध है जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में पोस्ट मैट्रिकुलेशन/ पोस्ट सेकेंडरी (कॉलेज/विश्वविद्यालय) स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना और न्यूनतम 75% उपस्थितिआवश्यक है।
		9.	एससी/ एसटी/ ओबीसी छात्रों को डॉ. बी. आर. अंबेडकर राज्य टॉपर पुरस्कार	10	यह पुरस्कार उन छात्रों को दिया जाता है जो व्यावसायिक/तकनीकी डिग्री कोर्स के प्रत्येक विषय में एससी/एसटी/ओबीसी में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं। छात्र ने दिल्ली से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। यह पुरस्कार उस छात्र को दिया जाता है जो डिग्री कोर्स के प्रत्येक विषय में एससी/एसटी/ओबीसी में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। इसके समर्थन में उसे दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टॉपर छात्र को कोर्स की अंतिम

						परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद केवल एक बार पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सभी व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के टॉपर्स में से दिया जाता है। योग्यता आधारित पुरस्कार होने के कारण, परिवार की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि विद्यार्थी एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी से संबंधित है, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद प्रत्येक विषय में टॉप करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 25000/- रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।
(ख)	क्या सरकार की एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा मुफ्त देने की कोई योजना है;	वर्तमान में इस तरह की कोई योजना विभाग में नहीं चलाई जा रही है।				
(ग)	यदि हां, तो विस्तार से विवरण दें;	ऊपरोक्त (ख)अनुसार				
(घ)	क्या एससी/ एसटी/ ओबीसी को रियायती दर पर लोन देने की सरकार की कोई योजना है. विवरण दें;	दिल्ली अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ विकलांगता वित्तीय एवं विकास निगम (दिल्ली सरकार का उपक्रम) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार: "यह निगम (वित्तीय एवं विकास निगम) एससी/ एसटी / ओबीसी को रियायती दर पर लोन (महिलाओं के लिए 3.5% और 4% से 8% अनुसूचित जाति और अन्य के लिए) देने की योजना चला रहा है, जिसके तहत उन्हें व्यवसायिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लोन उपलब्ध कराता है"।				
(घ)	पिछले एक साल में विभाग के पास एससी/एसटी/ओबीसी के लोन के कितने आवेदन आये तथा शाहदरा विधान सभा के कितने आये, विस्तार से विवरण दें, और	दिल्ली अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ विकलांगता वित्तीय एवं विकास निगम (दिल्ली सरकार का उपक्रम) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार : "पिछले एक साल (वर्ष 2024-25) में विभाग के पास एससी/ एसटी/ ओबीसी के लोन के लिए कुल 02 आवेदन आए, जिनमें से शाहदरा विधानसभा से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ"।				
(ङ)	शाहदरा विधान सभा के आवेदनों की स्थिति, कितने स्वीकार हुए, कितने रिजेक्ट हुए, विवरण दे?	उपरोक्तानुसार ।				

(उप–निदेशक)
डीएससीएसटी